अपील सूचना अधिकार संख्या 69/2019 (RCMS 2019/00186) श्री जय प्रकाश हरवानी निवासी हाउस नं. जे–157, पार्श्वनाथ सिटी, संगरिया पाल बाई पास रोड, जोधपुर – 342013 बनाम पुर्नवास अधिकारी (एस.डी.एम.), श्रीगंगानगर

31.10.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री जयप्राश हरवानी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ।

मैनें पत्रावली के अवलोकन से पाया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–10/पुर्नवास) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके 08 बिन्दुओं की सूचना चाही थी जिसके क्रम संख्या 4, 5 व 6 पुर्नवास अधिकारी से सम्बन्धित होने के कारण पत्र उन्हें स्थानान्तरित किया गया है।लोक सूचना अधिकारी एवं पुर्नवास अधिकारी (एस.डी.एम.), श्रीगंगानगर द्वारा उसे निश्चित समयावधि में वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसके द्वारा वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाने की प्रार्थना की है।

अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 4 से 6 की सूचनाओं का विवरण निम्नानुसार है :

4. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा 03.02.2016 से पूर्व मार्गदर्शन मांगा गया था। अतः मार्गदर्शन देने की प्रति मय प्रमाण दें।
5. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को नियमानुसार मार्गदश्नन नहीं देने के कारणों की निमयानुसार मय प्रमाण जानकारी/सूचना दें।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

6. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के अनुसार 1988 से कस्टोडियन आवंटितयों के लिए 5091—05 बीघा नहरी/बारानी निष्क्रांत भूमि कृषि के रूप में तहसील मोहनगढ—1 जिला जैसलमेर में आरिक्षत थी जिसके आवंटन के अधिकार दिनांक 05.09.2005 तक उक्त अधिकारी को थे। जिसका एन/109 व एन/110 में भी उल्लेख है। अतः उक्त अधिकारी को प्रार्थिया के प्रकरण निस्तारण हेतु मार्ग दर्शन मांगने पर भी नहीं देनें के कारणों की मय प्रमाण बिन्दुवार सूचना दे।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में पुर्नवास अधिकारी (एस.डी.एम.), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 4721 दिनांक 27.09.2019 से अपीलार्थी को निम्नानुसर जवाब दिया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक सीजी/वाचे/19/1076 दिनांक 19.09.2019 के द्वारा आप द्वारा प्रस्तुत की गई अपील के संबंध में कागजात प्राप्त हुए जिसमें आप द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव राजस्व (गुप—10/पुनर्वास) विभागय जयपुर का पत्र क्रमांक 5(4) राजस्व/ग्रुप—10/पुर्नवास/2019 दिनांक 24.04.2019 प्राप्त हुआ। उक्त पत्र पूर्व में इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ था लेकिन पत्र प्राप्त न होने के कारण आपको सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अब बिन्दु संख्या 4, 5 व 6 की सूचना निम्न प्रकार से प्रेषित है :

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

क्र.सं.	वांछित सूचना	प्रतिउत्तर
4	जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा 03.02.2016 से पूर्व मार्गदर्शन मांगा गया था। अतः मार्गदर्शन देने की प्रति. मय प्रमाण दें।	इस कार्यालय द्वारा 03.02. 2106 से पूर्व मार्गदर्शन मांगे जाने की सूचना चाही गई है। लेकिन आप द्वारा मार्गदर्शन के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है कि इस कार्यालय से किन से क्या मार्गदर्शन मांगा गया था। आपका प्रश्न अधूरा होने के कारण सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है।
5	जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को नियमानुसार मार्गदर्शन नहीं देने के कारणों की निमयानुसार मय प्रमाण जानकारी/सूचना दें।	किस कार्यालय से इस कार्यालय को मार्गदर्शन प्राप्त होना था आप द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट नही की गई है कि इस कारण सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है।
6	जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के अनुसार 1988 से कस्टोडियन आवंटितयों के लिए 5091—05 बीघा नहरी/बारानी निष्क्रांत भूमि कृषि के रूप में तहसील मोहनगढ—1 जिला जैसलमेर में आरक्षित थी जिसके आवंटन के अधिकार दिनांक 05.09.2005 तक उक्त अधिकारी को थे। जिसका एन/109 व एन/110 में भी उल्लेख है। अतः उक्त अधिकारी को प्रार्थिया के प्रकरण निस्तारण हेतु मार्ग दर्शन मांगने पर भी नहीं देने के कारणों की मय प्रमाण बिन्दुवार सूचना दे।	किस कार्यालय से इस कार्यालय को मार्गदर्शन प्राप्त होना था आप द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। इस कारण सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभवन नहीं है।

—sd—
सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति पुर्नवास अधिकारी (एस.डी.एम.), श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर